न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश,कौशाम्बी।

उपस्थितः बद्री विशाल पाण्डेय, एच0जे0एस0

UPKS010018182026

द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 61/2026

बादल सिंह पुत्र राज कुमार निवासी ग्राम गौरा फरीदपुर, थाना मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0सरकार .....अभियोजन पक्ष

मु0अ0सं0–85/2025
धारा–419,420,467,468,506 भा0दं0सं0
थाना–मंझनपुर
जनपद–कौशाम्बी।

प्रार्थी की ओर से.....श्री राम सागर मिश्र, एडवोकेट।
राज्य की ओर से.....श्री अनिरूद्ध मिश्र, ए.डी.जी.सी. (क्रिमि.)।

10.07.2026

1. प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त बादल सिंह, जो मु0अ0सं0–85/ 2025, धारा–419, 420, 467, 468, 506 भा0दं0सं0, थाना–मंझनपुर जनपद–कौशाम्बी में वांछित है, की ओर से प्रस्तुत किया गया है। उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् रूप से परिशीलन किया। प्रार्थी/अभियुक्त के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के साथ शपथकर्ता बादलसिंह द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम जमानत संबंधी प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।

2. अभियोजन के अनुसार वादिनी मुकदमा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) बी. एन. एस. एस. इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके पति बीरेन्द्र कुमार अशिक्षित, मानसिक रूप से शिथिल है तथा पागलों की तरह इधर–उधर घूमते रहते है। उसके पति बीरेन्द्र कुमार के नाम तीन ग्रामों ग्राम बंधवा, गौरा एवं फरीदपुर में आराजियात है। वीरेन्द्र कुमार को अपनी दवा इलाज के लिए भूमि विक्रय करने की आवश्यकता होने पर उन्होंने उसके सहयोग से मौजा फरीदपुर की आराजी सं0 161 रकबा 0.696 हे0 में से 0.114 हे0 रकबा मुकुन्दीलाल पुत्र स्व० शम्भूनाथ को जरिये बैनामा दिनांकित 24.12.22 को विक्रय किया जो पूर्णतया सही बैनामा है। विपक्षी सं0 1 रवि कुमार को अपने साजिश में लेकर गगनदीप व बादल पुत्र गण राजकुमार ने वीरेन्द्र कुमार के स्थान पर रवि कुमार को खड़ाकर रवि कुमार से ही तीन बैनामा दिनांक 30.10.21, 01.07.22, व 09.11.22 को बादल सिंह ने अपने नाम तहरीर करा लिया। बादल सिंह व गगनदीप ने उसके पति वीरेन्द्र कुमार की अन्य सम्पत्ति को हड़प करने की नियत से बीरेन्द्र कुमार का फर्जी आधार कार्ड तैयार कराया तथा अन्य व्यक्ति को बीरेन्द्र कुमार बनाकर तहसील बारा, जिला प्रयागराज में सब रजिस्ट्रार कार्यालय में फर्जी तौर पर एक मुख्तारआम रजिस्टर्ड दिनांक 10.11.23 को करा दिया जिसमें अधिकार रवि कुमार को

Digitally signed by BADRI VISHAL PANDEY
Date: 2026.07.13 19:06:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विक्रय हेतु दिया गया। फर्जी मुख्तारआम के आधार पर बादल सिंह ने दिनांक–05.12.23 एवं गगनदीप ने दिनांक 01.12.23, 16.12.23 एवं 16.01.24 को बैनामा तहरीर करा लिया। विपक्षी सं0 2 व 3 गगनदीप व बादल के साजिश की जानकारी होने पर उसके भाई गनेश कुमार यादव ने जब पुलिस अधिकारियों के यहां जाकर पैरवी करना शुरु किया तो विपक्षी सं0 5 राजीव कुमार जो उक्त बैनामें के गवाह हैं व साजिश में शामिल हैं, ने दबाव बनाने के उद्देश्य से एक फर्जी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) बी. एन. एस. एस का अदालत विशेष न्यायाधीश अ०जा०ध्अ०ज०जा० (अ०नि०) अधिनियम कौशाम्बी में प्रस्तुत किया जो दिनांक 03.09.24 को निरस्त कर दिया गया। विपक्षी गण अपने आप को फंसता हुआ देखकर दिनांक 31.07.24 को विपक्षी सं0 3 बादल सिंह ने मौजा बंधवा व मौजा गौरा की भूमि पुनः रवि कुमार को जरिये बैनामा वापस कर दिया। विपक्षी गण सं0 2 व 3 गगनदीप व बादल विपक्षी सं0–1 रवि कुमार को अपनी साजिश में लेकर बीरेन्द्र कुमार के स्थान पर समस्त बैनामें तहरीर कराये, तथा बीरेन्द्र कुमार का फर्जी आधार कार्ड मुख्तारआम में दर्शित किया जबकि उसका कोई आधार कार्ड ही नहीं बना है। प्रार्थिनी अपने भाई विजय व बीरेन्द्र के साथ तहसील–बारा जिला प्रयागराज गई तो सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई। प्रार्थिनी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पुलिस अधिकारियों के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया जिस पर विपक्षी सं0 2 व 3 प्रार्थिनी व उसके भाइयों को जान से मारने की धमकी दे रहे है, तथा बाद में पैरवी न करने देने पर अमादा हैं। सभी बैनाम फर्जी तौर पर वीरेन्द्र कुमार के स्थान पर उसके लड़के रवि कुमार को अपने साजिश में लेकर विपक्षी सं0 2 व 3 गगनदीप व बादल ने अन्य विपक्षीगण के साथ मिलकर साजिश प्रार्थिनी के पति बीरेन्द्र कुमार की भूमि हड़प करने की नियत से साजिश मूल्यवान दस्तावेज तैयार कराये है जो कि एक आपराधिक कृत्य है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसको मुकदमा उपरोक्त में रंजिशन फंसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वादिनी व उसका पति तथा उसका लड़का रवि कुमार तीनों मिलकर प्रार्थी से पूरा प्रतिफल लेकर कथित बैनामा प्रार्थी के पक्ष में किया बाद में वादिनी के भाइयों द्वारा बककावे व लालच में आकर यह मनगन्त कहानी बनाकर झूंठे मुकदमें में प्रार्थी को फंसाया गया है। मुख्तारआम को वादिनी अपने भाईयो के बहकावे व लालच में आकर फर्जी करती है उसको उसी के भाइयों द्वारा निरस्त करवाया गया है। वादिनी के भाई विजय व वीरेन्द्र लालच देकर वादिनी को गुमराह करके व अपने कब्जे में लेकर यह मनगढन्त कहानी बनाकर प्रार्थी को झूंठा फंसाया है। प्रार्थी स्वयं पीडिऋत है जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रार्थी की सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए यह झूंठा आरोप लगाया गया है। प्रार्थी का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के पति के स्थान उसके लड़के को खड़ा करके उसकी जमीनों का बैनामा करा लिया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

5. अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के पति के स्थान उसके लड़के को खड़ा

करके उसकी जमीनों का बैनामा करा लिया जाना कहा गया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। विवेचक ने दौरान विवेचना गवाहों के बयान लिये हैं। विवेचक को गवाहों ने अपने बयानों में प्रार्थी/अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता बतायी है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है। प्रार्थी/अभियुक्त को मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस आधार इस स्तर पर विद्यमान नहीं है। अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, इस स्तर पर मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर्याप्त आधार न पाये जाने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में प्रार्थी/अभियुक्त बादल सिंह की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाया जाता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(बद्री विशाल पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
कौशाम्बी।
ID No.UP2025
दिनांकः10.07.2026